न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद जिला अजमेर

पीठासीन अधिकारी :– देवीलाल यादव (आर.ए.एस.)
प्रकरण संख्या :– 146 / 2015

उनवान

1. शिवराज,
2. रामदयाल,
3. रामनारायण पि0 सुगना जाति जाट नि. सनोद, नसीराबाद

——वादीगण :– जरियें अधिवक्ता श्री सीताराम रावत

बनाम

1. भूली पत्नी छगना,
2. रामलाल,
3. कैलाश,
4. जगदीश,
5. पारसी,
6. रसाल पि. छगना जाति जाट नि. सनोद, नसीराबाद,
7. उप पंजीयक नसीराबाद,
8. राज0 सरकार जरियें तहसीलदार नसीराबाद,
9. मैनेजर बैंक आफॅ बडौदा, शाखा रामसर,
10. मैनेजर पंजाब नेशनल बैंक शाखा सनोद

—— प्रतिवादीगण :– 1 से 6 व 9 से 10 अनुपस्थित
7 व 8 जरियें राज. पैरोकार

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 व 136 भू राजस्व अधिनियम 1956

दिनांक :– 10/9/24

–: निर्णय :–

अधिवक्ता वादीगण ने उक्त वाद पेश कर निवेदन किया कि ग्राम सनोद में वादीगण की पुश्तैनी खातेदारी / काश्तकारी की है जिसका विवरण निम्न प्रकार है :–

चौसाला खसरा नम्बर	वंर्किग खसरा नम्बर	रकबा	हाल खसरा नम्बर	रकबा
632	1108	1–2–10	1717	0.18
1528	2087	1–1–10	2882	0.18

उपरोक्त आराजी के चौसाला खसरा नं. 632 रकबा 1–2–10 की आराजी चौसाला जमाबंदी में सुखा पुत्र भिया के नाम व 1528 रकबा 1–1–10 [illegible] में सुखा पुत्र भिया व उसके वारिस छगना व सुगना [illegible] रायचन्द के ना[illegible] दर्ज है। खातेदार सुखा पुत्र भिया की मृत्यु हो गयी है जिसके वारिस रायचन्द [illegible] है। रायचन्द के दो पुत्र सुगना व छगना की भी मृत्यु हो गयी है [illegible] के वारिस प्रतिवादीगण है। इस प्रकार आराजी मुतनाजा पर वादीगण [illegible] प्रतिवादीगण का 1/2, 1/2 हिस्सा निहित है। हाल राजस्व अभिलेख में उक्त आराजी [illegible] राजस्व अभिलेख

——2

Signature Not Verified
Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.28 14:29:51 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

अनुसार वादीगण व प्रतिवादीगण के नाम दर्ज करने के बजाय त्रुटिपूर्ण तरीके से मात्र छगना व उसकी मृत्यु के बाद छगना के वारिसान के नाम दर्ज कर दी। उकत त्रुटिपूर्ण इन्द्राज के कारण प्रतिवादीगण आराजी मुतनाजा पर वादीगण के कब्जे काश्त में दखलदांजी कर रहे है। आराजी मुतनाजा को अन्यत्र हस्तांतरण करने पर आमादा है। अतः आराजी मुतनाजा का खातेदार वादीगण को घोषित किया जावे। प्रतिवादीगण को जरियें स्थायी निषेधाज्ञा पाबंद किया जावे।

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरियें नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 से 6 व 9 से 10 अनुपस्थित रहने के कारण एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी। राज. पैरोकार ने जवाब नही पेश करना जाहिर किया। प्रकरण का कोई खण्डन नही होने के कारण तनकी कायम नही की गयी।

अधिवक्ता वादी ने प्रकरण में साक्ष्य नही पेश करना जाहिर किया।

बहस उभय पक्ष सुनी गयी।

पत्रावली का अवलोकन किया। विद्वान अधिवक्ता वादी व राज. पैरोकार की बहस पर मनन किया। आराजी मुतनाजा चौसाला खसरा नम्बर 632 व 1528 चौसला जमाबंदी सवंत 2023–26, खैवट फसली सन् 1365 से 1366 में सुखा पुत्र भिया व सुगना, छगना पि. रायचन्द्र के नाम दर्ज है। वंर्किग जमाबंदी में उक्त आराजी अकेले छगना पुत्र रायचन्द्र के नाम दर्ज कर दी गयी तथा हाल राजस्व अभिलेख में उक्त आराजी छगना के वारिसान प्रतिवादीगण के नाम दर्ज कर दी गयी। प्रतिवादीगण प्रकरण में अनुपस्थित रहे है। पूर्व में साबिक राजस्व अभिलेख में उक्त आराजी सुखा पुत्र भिया व सुगना, छगना पि. रायचन्द्र के नाम दर्ज थी, जो कि वादीगण व प्रतिवादीगण के पूर्वज है। वंर्किग जमाबंदी व हाल राजस्व अभिलेख में आराजी मुतनाजा छगना व उसकी मृत्यु के बाद छगना के वारिसान के नाम दर्ज कर दी गयी, जबकि आराजी मुतनाजा पुश्तैनी होने के कारण वादीगण के नाम भी दर्ज करनी चाहिये थी। वंर्किग जमाबंदी व हाल राजस्व अभिलेख में आराजी मुतनाजा मात्र प्रतिवादीगण के नाम किस नामान्तकरण से दर्ज हुयी यह राजस्व अभिलेख से स्पष्ट नही होता है। हाल राजस्व अभिलेख में बंदोबस्त विभाग को पूर्व इन्द्राज को ही दोहराना था। राज. पैरोकार ने वाद का खण्डन नही किया है। हाल खसरा नम्बर 1717 रकबा 0.18 व 2882 रकबा 0.18 प्रतिवादी संख्या 9 व 10 के नाम रहन दर्ज है। किन्तु साबिक राजस्व अभिलेख में आराजी मुतनाजा वादीगण की पुश्तेनी होने के कारण उक्त आराजी के 1/2 हिस्से की आराजी पर बैंक रहन का प्रभाव वादीगण के हितों पर नही पडेगा। वादीगण द्वारा प्रस्तुत राजस्व अभिलेख से आराजी मुतनाजा का वर्तमान इन्द्राज त्रुटिपूर्ण सिद्व होता है। वादीगण उक्त आराजी पर 1/2 हिस्से पर खातेदारी प्राप्त करने के अधिकारी है।

उक्तानुसार ग्राम सनोद के हाल खसरा नम्बर 1717 रकबा 0.18 व 2882 रकबा 0.18 की आराजी पर वादीगण का वाद **"स्वीकार"** किया जाता है। वादीगण को उक्त आराजी पर 1/2 हिस्से का खातेदार घोषित किया जाता है। तहसीलदार नसीराबाद उक्तानुसार राजस्व अभिलेख में अमल दरामद की कार्यवाही करावे। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे। इस आशय की पर्चा डिकी जारी हो।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.28 14:29:51 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री व मुकदमें इब्ताई
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद

उनवान

शिवराज बनाम भूली

दावा बाबत :– 88, 188 राज. का. अधि0 1955 व 136 भू राजस्व अधिनियम 1956

राजस्व मुकदमा नम्बर – 146/2015
पेश करने की दिनांक – 14.12.2015

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिनाल कतई रूबरू देवीलाल यादव (आर. ए. एस)–व हाजिर अभिभाषक सीताराम रावत मुददई अभिभाषक राज0 पैरोकार मिनजामिन मुदायला पेश हो कर दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि :–

ग्राम सनोद के हाल खसरा नम्बर 1717 रकबा 0.18 व 2882 रकबा 0.18 की आराजी पर वादीगण का वाद **"स्वीकार"** किया जाता है। वादीगण को उक्त आराजी पर 1/2 हिस्से का खातेदार घोषित किया जाता है। तहसीलदार नसीराबाद उक्तानुसार राजस्व अभिलेख में अमल दरामद की कार्यवाही करावे। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

खर्चा इस मुकदमें में मय सूद व शरह तक——— को सालाना आज की तारीख से यानि वसूली तक को अदा करे।

बअखत दस्तखत व मोहर अदालत के आज दिनांक 10 माह 9 सन् 2024 को जारी की गयी।

मुददई	मुदायला
स्टाम्प अरजी दावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत मेहनताना वकील फीस कमिश्नर खर्चा गवाहान बावत् इजराय हुक्मनामा मुतफरिक	स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अरजी मेहनताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बाबत् इजराय हुक्मनामा मुतफरिक
मिजान	मिजान

Signature Not Verified

Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.28 14:29:51 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद